बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

कल दिनांक 08 अक्टूबर, 2020 को निर्वाची पदाधिकारियों के कार्यालयों में नामनिर्देशन पत्र जमा किये जायेंगे।

पटना – 07 अक्टूबर, 2020

सोशल मीडिया पर चल रहे कुछ भ्रामक खबरों का खंडन करते हुए अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री संजय कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि 08 अक्टूबर, 2020 को निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट कार्यालयों में विधान सभा आम चुनाव, 2020 हेतु नामनिर्देशन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। यह सूचना मिली है कि सोशल मीडिया के माध्यम से यह भ्रम फैल रहा है कि कल 08 अक्टूबर, 2020 को 'चेहल्लुम' के कारण सामान्य अवकाश की वजह से नामनिर्देशन पत्र प्राप्त नहीं किये जायेंगे, यह सही नहीं है। दरअसल एन० आई० एक्ट 1881 के तहत घोषित अवकाशों को हीं नामनिर्देशन पत्र भरने के प्रयोजनार्थ ''अवकाश'' माना जाता है। चूँकि चेहल्लुम (08 अक्टूबर, 2020) एन० आई० एक्ट के तहत बिहार में अवकाश घोषित नहीं है, अतः इस दिन नामनिर्देशन पत्र नियमानुसार प्राप्त किये जायेंगे।